न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक क्रमांक 33 / अ–19(3) / 2007–08

न्यायालय जिला कलेक्टर जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

:: संशोधित आदेश ::

(दिनाक 14 जुलाई 2015 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2738 / एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनांक 25.05.2015 में उल्लेख किया है कि मेसर्स सुजलान इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 वृक्षारोपण हेतु 97.06 हैक्टेयर भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33 / अ– 19(3) / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को अंतरित किया गया था तथा अंतरण की शर्तो में यह स्पष्ट था कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन दो वर्ष के भीतर न होने की स्थिति में अंतरण स्वमेव निरस्त समझा जावेगा। उक्त प्रोजेक्ट निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित नहीं हो सका है। वन विभाग द्वारा तत्समय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार भूमि को उपयुक्त पाया गया था :–

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में
1	आगर	मालीखेड़ी	527	52.050
2	बड़ोद	रापड़ी	818 / 1 / 1	28.730
3	बड़ोद	टोकड़ा	182 / 7	23.750
4		टोकड़ा	186	26.250
5	’	टोकड़ा	229	21.180
			योग	151.780

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा संचालित सतना – चित्रकुट मार्ग (राजमार्ग क्र–11) हेतु 36.600 हेक्टेयर कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 127.783 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। यदि उपरोक्तानुसार राजस्व भूमि वन विभाग को अंतरित की जाती है तो तीनों महत्वपूर्ण एवं महत्वांकाक्षी सड़क परियोजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। कृपया इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 5408, दिनांक 10.07.2015 के माध्यम से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए निम्न क्रमानुसार राजस्व भूमि अन्तरण की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है:

1. कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर
2. जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर

सतना – चित्रकुट मार्ग (राजमार्ग क्र–11) हेतु 36.600 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के पत्र दिनाक 25.05.2015 एंव 10.07.2015 के आधार पर दिनांक 13.07.2015 को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि आवंटन आदेश जारी किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के द्वारा पत्र क्र 5673/ एमपीआरडीसी/2015–16 भोपाल दिनांक 14.07.2015 के माध्यम से अनुरोध किया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2015 में संशोधन कर कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेंतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि अन्तरित करने की कृपा करें।

3. कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/3अ–19(3)/2007–08 में पारित आदेश दिनाक 18.02.2008 से निम्नानुसार भूमि वन विभाग को सशर्त आंवटित की गई थी .–

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्र0 एंव अभिलेख में अकिंत उसकी मद	अभिलेख में अंकित भूमि का रकबा	वन विभाग को दी जाने हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का रकबा
आगर	मालीखेडी	527 जो अभिलेखो में निरस्त चरपोई सुरक्षित भूमि पडत भूमि विकास हेतु सुरक्षित अकित है।	52.050 हैक्अेयर में से	20.00 हैक्टेयर
बडौद	रापड़ी	818/1 जो कि राजस्व अभिलेख में जंगल घास अंकित है।	29.730 हैक्टेयर में से	25.00 हैक्टेयर
बडौद	टोकड़ा	182 जो कि अभिलेख मे चरनोई अंकित है।	23.570 हैक्अेयर मे से	15.00 हैक्टेयर
		186 जो कि अभिलेख मे निरस्ता चरोखर अंकित थी जिसे प्र.क्र 155/अ–59/2000–01 ओदश दिनाक 06.09. 2001 द्वारा गैर मुमकिन धाषित किया गया है।	26.250 हैक्टेयर में से	23.00 हैक्टेयर
		229 जो कि अभिलेख मे गैरमुमकिन चरनोई अंकित है।	21.180 हैक्टेयर में से	15.00 हैक्टेयर
योग	—	—	—	98.00 हैक्टेयर

उक्त आदेश मे यह शर्त अंकित की गई थी किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नही होता है या यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बढाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई भूमि

Steno/Gen.lettar.doc

...शासन की शर्तानुसार वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव ... शून्य हो जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग की अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने आधिपत्य में ली सकेगी।

4. वन मण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन को भेजे पत्र एंव कलेक्टर जिला आगर मालवा को को पृष्ठ क्रमांक/मा.चि./14/2454 शाजापुर दिनांक 22.10.2014 में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 18.02.2008 के माध्यम से प्राप्त 98.00 हैक्टेयर गैर वन भूमि हेतु आवेदक संस्था सुजलोन इन्फारस्ट्रक्चर लि0 से कोई राशि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

5. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर को पत्र क्रमांक/रीडर/15/146 आगर मालवा दिनांक 10.06.2015 जारी किया जाकर जवाब प्राप्त करने कर कष्ट करें। मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर द्वारा दिनांक 22.06.2015 को जवाब प्रस्तुत कर उसमें उल्लेख किया गया है कि मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 मेगावाट का विण्ड फार्म प्रोजेक्ट बडवानी जिले में स्थापित किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 97.06 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयिन प्रकरण क्रमांक 33/अ–19(3)/2007–08 में पारित आदेश दिंनाक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को अन्तरित की गई थी। उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पक्ष में वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदाय की जा चुकी थी किन्तु तत्पश्चात तत्समय संवैधानिक एंव शासकीय प्रावधान अनुसार उक्त वन भू–भाग पर वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा उस भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति निवासियों को प्रदाय कर दिया गया। अस्तु उक्त 97.06 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को अनुपयुक्त एंव निरस्त मानते हुए आवेदक संस्था ने उक्त भू–भाग अर्थात वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आंवटित राजस्व भूमि के बदले कोई भी राशि भारत सरकार को जमा नहीं करवाई।

6. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आंवटित की गई उपरोक्त भूमि पर दो वर्ष से वृक्षारोपण नहीं किए जाने से कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/अ–19(3)/2007–08 में पारित आदेश दिंनाक 18.02.2008 को निरस्त किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–25/36/2005/10–3 दिनांक 25.10.2005 एंव परिपत्र क्रमांक एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल दिनांक 26 अक्टुबर 2005 के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2738/ एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनाक 25.05.2015, पत्र क्रमांक 5408 दिनांक 10.07.2015 एंव पत्र क्र 5673/ एमपीआरडीसी/2015–16 भोपाल दिनाक 14.07.2015 के अनुसार, कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–मण्डला,–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाने हेतु जिला आगर मालवा की तहसील बडौद की निम्नानुसार भूमि को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर मध्यप्रदेश राजस्व

आगर मालवा, दिंनाक जुलाई 2015

क्र/रीडर/2015/163-A

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ।
2. वन मण्डाधिकारी , वन मण्डल शाजापुर।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर–बडौद।
4. तहसीलदार, तहसील आगर, बडौद की ओर भेज कर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल करायें तथा स्थल पर हस्तांतरित भूमि चिन्हित कर विभागिय अधिकारी को आधिपत्य दिलाये जाने हेतु पालनार्थ।
5. सुजलोन गुजरात विन्ड पार्क लिमिटेड बसन्त विहार ए0 बी0 रोड इन्दौर कर और सूचनार्थ

14/7/2015

कलेक्टर

जिला–आगर मालवा म0प्र0

Steno/Gen.lettar.doc

प्रपत्रक परिशिष्ट खण्ड-एक क्रमाक 7 के तहत नीचे उल्लेखित शर्तो के अधीन वैकल्पिक वृक्षारोपण वि
[illegible] विभाग को आवंटित की जाती है :-

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में
1	बडौद	रापड़ी	818/1/1	28.730
2	बडौद	टोकड़ा	182/7	23.750
3		टोकड़ा	186	26.250
4		टोकड़ा	229	21.180 मेसे 12.453
योग				91.183

शर्ते :-

1. आंवटित की गई भूमि पूर्णतः शासन के सवामित्व की रहेगी ।

2. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है या यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बढाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नही किया जाता है या आरक्षित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग की अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने अधिपत्य में ली जा सकेगी।

3. आरक्षित भूमि पर से ग्रामवासियों के रास्ते आदि के निस्तारी उपयोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट वन विभाग द्वारा उत्पन्न नहीं की जावेगीं।

4. वन विभाग को जितनी भूमि प्रस्तावित परियोजना के लिए दी जा रही है उतनी ही भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित रखी जाकर शेष भूमि राजस्व विभाग द्वारा वापस ली जा सकेगी।

तहसीलदार बडौद उनके तहसील क्षेत्राधीकार अन्तर्गत आदेशानुसार अभिलेख में अमलदरामद कर भूमि का कब्जा तत्काल वन विभाग शाजापुर को सौंपकर अमलशुदा खसरा नक्शा एवं कब्जा रसीद इस न्यायालय को भिजवायें।

14/07/2015

(विनोद कुमार शर्मा)
कलेक्टर
जिला-आगर मालवा म0प्र0

Steno/Gen.lettar.doc